



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12072022-237264  
CG-DL-E-12072022-237264

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 497]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 12, 2022/आषाढ़ 21, 1944

No. 497]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 12, 2022/ASHADHA 21, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 2022

आयकर

सा.का.नि. 537(अ).—केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 158कख की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयकर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्: -

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इस नियम का संक्षिप्त नाम आयकर (बाईसवां संशोधन) नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. आयकर नियम, 1962 (जिसे इसके पश्चात मूल नियम के रूप में निर्दिष्ट) में, भाग 3क में, नियम 16 को उसके नियम 15क के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा और पुनःसंख्यांकित नियम 15क के पश्चात, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"16. अपील अधिकरण या क्षेत्राधिकार वाले उच्च न्यायालय के समक्ष अपील फाइल करने को स्थगित करने के लिए धारा 158कख के अधीन आवेदन:- धारा 158कख की उप-धारा (2) में निर्दिष्ट आवेदन, जिसे यथास्थिति, अपील अधिकरण या क्षेत्राधिकार वाले उच्च न्यायालय के समक्ष किया जाना आवश्यक है, निर्धारण अधिकारी द्वारा प्ररूप संख्या 8क में किया जाएगा।"

**3. मूल नियमों के परिशिष्ट-2 में,-**

(I) प्रपत्र संख्या 8 में, "[नियम 16 देखें]" कोष्ठकों, शब्दों और अंकों के स्थान पर "[नियम 15क देखें]" कोष्ठक, शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(II) प्ररूप नंबर 8 के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"प्ररूप संख्या 8क

[नियम 16 देखें]

.....उच्च न्यायालय अथवा

आयकर अपील अधिकरण ..... में

(जो लागू न हो उसे काट दें)

1.	अपीलार्थी की व्यक्तिगत जानकारी	अपीलार्थी का नाम/पदनाम (जैसा लागू हो)	
		नोटिस भेजने का पूरा पता	
		राज्य	
		पिन कोड	
		एसटीडी कोड के साथ फोन नंबर/मोबाइल नंबर।	
		ईमेल पता	
2.	प्रतिवादी की व्यक्तिगत जानकारी	प्रतिवादी का नाम/पदनाम (जैसा लागू हो)	
		पैन (यदि उपलब्ध हो)	
		टैन (यदि उपलब्ध हो)	
		नोटिस भेजने का पूरा पता	
		राज्य	
		पिन कोड	
		एसटीडी कोड के साथ फोन नंबर/मोबाइल नंबर।	
		ईमेल पता (यदि उपलब्ध हो)	
3.	मामले का विवरण	(क)	निर्धारण वर्ष जिसके संबंध में अपील को स्थगित किया गया है
		(ख)	मद (क) में निर्दिष्ट निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारिती द्वारा घोषित कुल आय
		(ग)	उस आदेश का विवरण जिसके विरुद्ध अपील स्थगित की गई है
		(i)	धारा और उप-धारा जिसके अधीन आदेश पारित किया जाता है
		(ii)	आदेश की तारीख
		(iii)	सेवा की तारीख या आदेश की संसूचना
		(घ)	आयकर प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण आदेश पारित कर रहा है जिसके विरुद्ध अपील स्थगित कर दी गई है
		(ङ)	वह राज्य और जिला जिसमें क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारी स्थित है

		(च)	धारा और उप-धारा जिसके अधीन मूल आदेश पारित किया जाता है	
4.	विधि का प्रश्न जिनके लिए अपील आस्थगित है		विधि का प्रश्न	अधिनियम की सुसंगत धारा और उप-धारा
		(क)		
		(ख)		
		(ग)		
		कुल कर प्रभाव		
5.	अन्य मामले/मामलों का विवरण जिसके आधार पर अपील स्थगित की जाती है	(क)	निर्धारिती का नाम	
		(ख)	न्यायालय जिसके समक्ष अन्य मामले में अपील लंबित है	
		(ग)	दूसरे मामले में विधि का प्रश्न जिसके आधार पर तत्काल मामले में अपील स्थगित कर दी जाती है: -	
		(क)		
		(ख)		
		(ग)		
6.	धारा 158कख की उप-धारा (2) के अनुसार आवेदन फाइल करने की नियत तारीख			

**स्पष्टीकरण:** इस नियम और प्ररूप संख्या 8क के प्रयोजनों के लिए, "सुसंगत मामला" और "अन्य मामला" शब्दों का वही अर्थ होगा जो अधिनियम की धारा 158कख में उनके लिए दिया गया है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि-

क) ..... निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारिती के मामले में उठाए गए मद 4 में उल्लिखित विधि के प्रश्न(प्रश्नों), निम्नलिखित में उत्पन्न होने वाले विधि के प्रश्न के समान हैं/हैं:-

क. ....निर्धारण वर्ष के लिए उनका मामला

ख..... निर्धारण वर्ष के लिए..... मामला

ख) प्रश्न धारा 260क के अधीन क्षेत्राधिकार वाले उच्च न्यायालय या धारा 261 के अधीन उच्चतम न्यायालय में किसी अपील में या ऊपर 5 में यथाउल्लिखित किसी अपील अधिकरण/क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध संविधान के अनुच्छेद 136 के अधीन एक विशेष अनुमति याचिका में उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित हैं ;

ग) मद 4 में उल्लिखित विधि के प्रश्नों पर अपील, अधिनियम की धारा 158कख की उप-धारा (4) के उपबंधों के अनुसार फाइल की जाएगी।

हस्ताक्षरित

(अपीलार्थी)

नाम:.....

पद:.....

**सत्यापन का प्ररूप**

मैं....., अपीलार्थी, घोषित करता हूं कि ऊपर जो कथन किया गया है वह मेरी जानकारी और विश्वास से सर्वोत्तम सत्य है।

स्थान:.....

हस्ताक्षर: .....

तारीख:.....

नाम: .....

पद: .....

**टिप्पणियाँ:**

यदि उपलब्ध कराया गया स्थान अपर्याप्त पाया जाता है, तो इस प्रयोजन के लिए पृथकतया अनुलग्नक का उपयोग किया जा सकता है।"

[अधिसूचना सं. 83/2022/फा. सं. 370142/30/2022-टीपीएल]

प्रज्ञा पारमिता, निदेशक

**टिप्पण:** मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड-3, उप-खंड (ii) में संख्या का.आ. 969(अ) तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए और अंतिम बार अधिसूचना संख्या सा.का.नि 524(अ) तारीख, 08 जुलाई, 2022 द्वारा संशोधित किए गए थे।

**MINISTRY OF FINANCE**

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 12th July, 2022

**INCOME-TAX**

**G.S.R. 537(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 158AB read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:—

**1. Short title and commencement.**—(1) This rule may be called the Income-tax (Twenty Second Amendment) Rules, 2022.

(2) They shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

**2.** In the Income-tax Rules, 1962 (hereinafter referred to as the principal rules), in Part IIIA, rule 16 shall be renumbered as rule 15A thereof and after rule 15A as so numbered, the following rule shall be inserted, namely:—

**“16. Application under section 158AB to defer filing of appeal before the Appellate Tribunal or the jurisdictional High Court.**— The application referred to in sub-section (2) of section 158AB, required to be made before the Appellate Tribunal or the jurisdictional High Court, as the case may be, shall be made in Form No. 8A by the Assessing Officer.”

**3.** In the principal rules, in Appendix-II,—

(I) in Form No. 8, for the brackets, words and figures “[See rule 16]”, the brackets, words and figures “[See rule 15A]” shall be substituted;

(II) after Form No. 8, the following Form shall be inserted, namely:—

“Form No. 8A

[See rule 16]

In the High Court of ..... or  
Income-tax Appellate Tribunal.....*(strike out whichever is inapplicable)*

1.	Appellant's Personal Information	Name/ designation of the Appellant (as applicable)		
		Complete address for sending notices		
		State		
		Pin code		
		Phone No. with STD code/ Mobile No.		
		Email Address		
2.	Respondent's Personal Information	Name/ designation of the Respondent (as applicable)		
		PAN (if available)		
		TAN (if available)		
		Complete address for sending notices		
		State		
		Pin code		
		Phone No. with STD code/ Mobile No.		
		Email Address (if available)		
3.	Case Details	(a)	Assessment year in connection with which the appeal is deferred	
		(b)	Total income declared by the assessee for the assessment year referred to in item (a)	
		(c)	Details of the order against which appeal is deferred	
		(i)	Section and sub-section under which order is passed	
		(ii)	Date of order	
		(iii)	Date of service or communication of the order	
		(d)	Income-tax authority or the Appellate Tribunal passing the order against which appeal is deferred	
		(e)	The State and District in which the jurisdictional Assessing Officer is located	
		(f)	Section and sub-section under which the original order is passed	
4.	Questions of Law for which appeal is deferred		Questions of Law	Relevant Section and sub-section of the Act
		(a)		
		(b)		
		(c)		
			Total tax effect	

5.	Details of other case/ cases on the basis of which appeal is deferred	(a)	Name of the assessee	
		(b)	Court before which the appeal in the other case is pending	
		(c)	Question of law in the other case on the basis of which appeal in the instant case is deferred:—	
		(a)		
		(b)		
		(c)		
6.	Due date for filing of application as per sub-section (2) of section 158AB			

**Explanation:** For the purposes of this rule and form No. 8A, the words “relevant case” and “other case” shall have the same meaning as assigned to them in section 158AB of the Act.

It is hereby certified that—

- (a) the question(s) of law mentioned in item 4, arising in the case of the assessee for assessment year \_\_\_\_\_ is/are identical with a question of law arising in:-
- his case for the assessment year \_\_\_\_\_
  - the case of \_\_\_\_\_ for the assessment year \_\_\_\_\_ ,
- (b) the question(s) is/are pending before the jurisdictional High Court under section 260A or the Supreme Court in an appeal under section 261 or the Supreme Court in a Special Leave Petition under article 136 of the Constitution against the order of the Appellate Tribunal/ jurisdictional High Court as mentioned in item 5 above;
- (c) the appeal on the question(s) of law mentioned in item 4 shall be filed in accordance with the provisions of sub-section (4) of section 158AB of the Act.

Signed

(Appellant)

Name: \_\_\_\_\_

Designation: \_\_\_\_\_

### Form of Verification

I, \_\_\_\_\_, the appellant, do hereby declare that what is stated above is true to the best of my information and belief.

Place: \_\_\_\_\_

Signature: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

Name: \_\_\_\_\_

Designation: \_\_\_\_\_

**Notes:**

If the space provided is found insufficient, separate enclosures may be used for the purpose.”.

[Notification No. 83/2022/ F. No. 370142/30/2022-TPL]

PRAJNA PARAMITA, Director

**Note :** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 969(E) dated the 26<sup>th</sup> March, 1962 and were last amended *vide* notification number G.S.R. 524(E) dated the 8<sup>th</sup> July, 2022.